केन्द्रिय भण्डार
राष्ट्रीय डेरी अनु सं
करनाल ।
दिनांक 25.1.22

परिपत्र

सभी प्रभागों व अनुभागों के इन्डेटिंग अधिकारियों द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार जैम प्रचेज व दूसरे प्रचेज आदेश के द्वारा सामान खरीदा जाता है इन आदेशो का सामान पहले केन्द्रिय भन्डार में प्राप्त किया जाता है । उसके बाद यह सामान इन्डेटिंग अधिकारियों द्वारा केन्द्रिय भन्डार से बिल संचलन पत्रक के साथ प्राप्त कर लिया जाता है । इन्डेटिंग अधिकारियों द्वारा सामान की गुणवता एवं मात्रा की रिपोर्ट वापिस केन्द्रिय भन्डार में जी आर एस करने के लिये भेजी जाती है । इस सम्बन्ध में प्रायः देखने में आया है कि कुछ इन्डेटिंग अधिकारियों द्वारा सामान प्राप्त करने के बाद भी बिल को समय से वापिस केन्द्रिय भण्डार में नही भेजते और न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी जाती है कि सामान खरीद आदेश अनुसार गुणवतापूरक एवं उचित मात्रा में है या नहीं जिससे फर्म के बिल की अदायगी में देरी होती है तथा जैम से खरीद के सम्बन्ध में एक निश्चित समयावधि के बाद यह सामान स्वतः ही खरीददार द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है जिससे उसे बाद में रिजेक्ट करना सम्भव नहीं होता है ।

इस समबन्ध में सभी प्रभागों व अनुभागों से अनुरोध किया जाता है कि जब भी आप के अनुभाग व प्रभाग के अधिकारियों द्वारा जैम प्रचेज व दूसरे प्रचेज आदेश के द्वारा सामान खरीदा जाता है और वह सामान केन्द्रिय भण्डार से प्राप्त कर लिया जाता है तो इन्डेटिंग अधिकारियों द्वारा बिल में गुणवता करके या गुणवता ठीक नहीं है करके बिल संचलन पत्रक के साथ दो दिनो में वापिस केन्द्रिय भण्डार में भेजने की कृपा करें ताकि बिल की अदायगी समय पर की जा सके । यदि सामान की गुणवता संबन्धी रिपोर्ट समय से प्रचेज अनुभाग को प्राप्त नहीं होती है तो संबन्धित इन्डेटिंग अधिकारी ही जिम्मेवार होगा ।

यह निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

25/1/22

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रचेज व केन्द्रिय भण्डार

प्रति : सभी प्रभागों व अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
ईन्चार्ज कम्पूटर अनुभाग से अनुरोध है कि वह संस्थान वैब साईट पर अपलोड करने की कृपा करे ।

Teena,
for n.a.
4/2/22